राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(महात्मा गांधी नरेगा, अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि/नरेगा/एमआईएस इश्यु/01154 जयपुर, दिनांक : 08 MAY 2019

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
महात्मा गांधी नरेगा,
जिला परिषद समस्त राजस्थान।

विषय :– योजनान्तर्गत कार्यो को प्रगतिरत किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश।

संदर्भ :–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 15.03.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जिलों द्वारा कार्यो पर मस्टररोल एवं सामग्री मद के बिल वाउचर्स की फीडिंग बकाया होने के बावजूद भी नरेगा सॉफ्ट पर कार्यो को पूर्ण दर्शा दिया जाता है। इन बकाया मस्टररोल एवं बिल वाउचर्स के भुगतान हेतु जिलो द्वारा राज्य स्तर पर कार्यो को पुनः प्रगतिरत किये जाने के संबंध में बार–बार अनुरोध किया जाता है।

अतः उपरोक्त के संबंध में कार्यो को प्रगतिरत किये जाने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें :–

1 जिन कार्यो को प्रगतिरत करवाया जाना है, उन कार्यो की सूचना निम्न फोर्मेट में मय सक्षम स्तर से जारी की गई यूसी की प्रति सहित भिजवाई जावे :–

ब्लॉक	ग्राम पं.	कार्य कोड एवं नाम	तकनीकी स्वीकृति		वित्तीय स्वीकृति		वास्तविक व्यय राशि	एम.आई.एस. के अनुसार व्यय राशि	बिल की राशि जिसका भुगतान बकाया है।		मूल्यांकन		भौतिक रूप से कार्य की स्थिति पूर्ण/अपूर्ण	विशेष विवरण
			दिनांक	राशि	दिनांक	राशि			बिल न.	राशि	दिनांक	राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16

2 ऐसे कार्य जो चालू वित्तीय वर्ष के पहले दो वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्ण किये गये है उन कार्यो के कार्य कोड मय कार्य पूर्णता दिनांक नरेगा सॉफ्ट से प्रिन्ट लेकर संलग्न की जावे।

3 व्यक्तिगत लाभ के कार्य जो पूर्ण दर्शा दिये गये है उन कार्यो पर संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी अथवा समकक्ष अधिकारी की जांच रिपोर्ट के उपरान्त की गई अनुशंषा के आधार पर राज्य स्तर पर कार्य को प्रगतिरत किये जाने के संबंध में विचार किया जा सकेगा।

a/2

Scanned by CamScanner

4 वित्तीय वर्ष 2017-18 से पहले जो कार्य मय भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (व्यक्तिगत लाभ के कार्यो के अतिरिक्त) पूर्ण दर्शाये गये है उन कार्यो पर अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस द्वारा जांच की जाकर की गई अनुशंषा के आधार पर कार्य को प्रगतिरत किये जाने पर विचार किया जावेगा।

5 ऐसे कार्य जो नरेगा सॉफ्ट पर पूर्ण दर्शा दिये गये है, परन्तु डीपीआर अनफ्रीज होने के कारण जिओटैग नहीं किये गये है। ऐसे कार्यो की नरेगा साफ्ट पर उपलब्ध लिस्ट संलग्न की जावे।

6 ऐसे कार्य जो नरेगा सॉफ्ट पर पूर्ण दर्शा दिये है एवं उन कार्यो पर मस्टररोल तथा बिल वाउचर की फीडिंग की हुई है परन्तु वास्तव में भुगतान नहीं हुआ है अर्थात् वेज लिस्ट/मैटेरियल लिस्ट जनरेट किया जाना शेष है। इस स्थिति में नरेगा सॉफ्ट पर प्रदर्शित बकाया मस्टररोल एवं बिल वाउचर्स की लिस्ट संलग्न किया जावे।

7 भुगतान बकाया होने के बावजूद किस अधिकारी/कार्मिक के निर्देशानुसार कार्य को नरेगा सॉफ्ट पर पूर्ण दर्शाया गया, के विरूद्ध की गई कार्यवाही से अवगत कराया जावे।

उपरोक्तानुसार सूचना केवल अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अथवा समकक्ष अधिकारी द्वारा केवल स्वयं के हस्ताक्षर द्वारा ही भिजवाये जाने के पश्चात् ही राज्य स्तर पर सक्षम स्तर से अनुमति के बाद कार्यो को प्रगतिरत किया जाना संभव हो सकेगा।

भवदीय,

(पी.सी.किशन)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1 जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस, समस्त राजस्थान।
2 रक्षित पत्रावली।

8/5

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस

Scanned by CamScanner